जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/87 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 12 जुलाई 2021

भाग-1

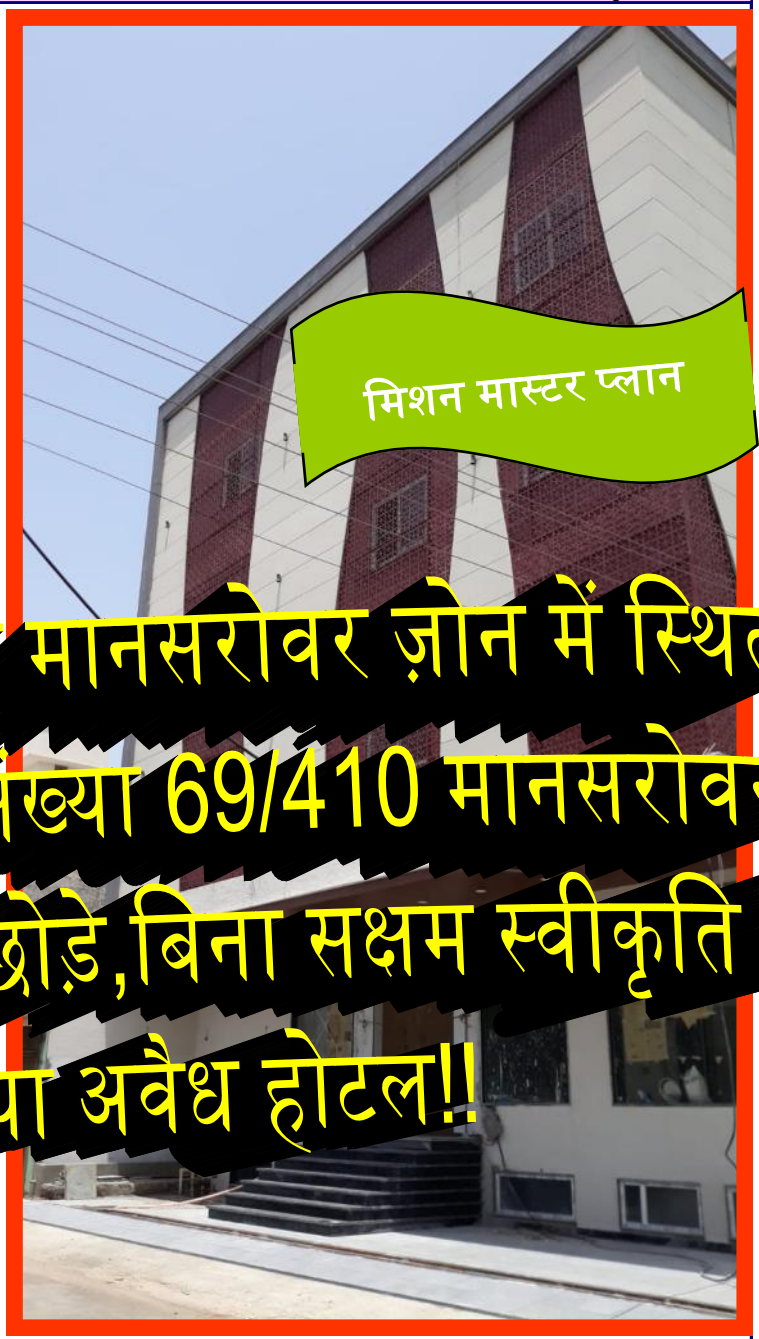

मिशन मास्टर प्लान

नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर ज़ोन में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 69/410 मानसरोवर पर बिना सेटबैक छोड़े,बिना सक्षम स्वीकृति के बन गया अवैध होटल!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नगर निगम मानसरोवर मे अवैध निर्माणों की भरमार|

जयपुर नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध निर्माण करने वालों की जमकर चाँदी हो रही है| ऐसा ही एक मामला मानसरोवर क्षेत्र में नजर आया।जहां केवल खानापूर्ति वाली कार्यवाही कर अधिकारियों ने अपनी अवैध निर्माण में सहमति का संकेत दिया है|अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण का गठजोड़ नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है|

निलंबित पार्षद और आयुक्त नगर निगम ग्रेटर से धक्का मुक्की करने के मामले मे लिप्त पार्षद के क्षेत्र मे बन गयी अवैध होटल

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार भूखंड संख्या 69/410 मानसरोवर,जो की आवासीय है और मुख्य मार्ग से भी अंदर की तरफ है,बावजूद इसके यहा पर अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बेसमेंट सहित 6 मंज़िला अवैध होटल का निर्माण कर लिया गया है|गौरतलब है कि इस अवैध निर्माण मे भवन विनियमों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है और ज़ीरो सेटबैक पर छह मंज़िला अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गयी है|जानकारों के अनुसार इस अवैध बिल्डिंग के निर्माण मे स्थानीय पार्षद और हाल ही मे आयुक्त से धक्का-मुक्की मामले मे निलंबित चल रहे पार्षद महोदय का हाथ है,जिनके संरक्षण मे ऐसे कई अवैध निर्माण मानसरोवर इलाके मे फल-फूल रहे है|

आखिर कब तक अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे नगर निगम के अधिकारी?

सवाल यह है कि आखिर कब तक जिम्मेदारों की नजर के सामने ऐसे ही राजस्व का नुकसान और अवैध निर्माण होते रहेंगे,आखिर कब तक शहर की सुन्दरता और शहर के सुनियोजित विकास मे अवैध निर्माण रोड़ा बनते रहेंगे|जल्द ही सरकार मे जिम्मेदार उच्च पदो पर बैठे उच्च अधिकारियों को अपना मौन तोड़ कर इन जैसी अवैध बिल्डिंगों के विरुद्ध सील या ध्वस्त करने की कार्यवाही को अमल में लाना होगाकही ऐसा ना हो कि चंद भ्रष्ट अधिकारियों और लालची बिल्डरों/भूमाफियाओं के कारण हमारा शहर कंक्रीट का जंगल बन कर ना रह जाए और आम आदमी के लिए इस शहर मे रहना दूभर हो जाए|

यदि ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब लोग कानून हाथ मे लेने लग जाएंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारेंगे|

सिस्टम नहीं सुधारा तो लोग कानून हाथ में ले लेंगे-सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

सिस्टम नहीं सुधारा तो लोग कानून हाथ में ले लेंगे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने चेताया

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांकः 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

18/7/19

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांकः 18.07.19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18/7/19

अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश| परन्तु इसके बावजूद ज़ोन में अवैध निर्माणों की बाढ़

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	69/410 मानसरोवर जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना सेटबैक नियमों की पालना किये आवासीय भूखंड पर,बिना पार्किंग छोड़े,सक्षम स्वीकृति के विरुद्ध,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स/होटल का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	नामालूम
4.	सम्बंधित ज़ोन	मानसरोवर ज़ोन नगर निगम ग्रेटर
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	उपायुक्त मानसरोवर ज़ोन श्री हेमा राम चौधरी
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	12/07/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. आखिर किसके कार्यकाल मे बन गया यह अवैध कॉम्प्लेक्स?
2. इस अवैध बिल्डिंग मे आने वाले वाहनों की सड़क पर पार्किंग से स्थानीय यातायात मे जो बाधा उत्पन्न होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा?
3. कौन है लाखो रुपयों के राजस्व का जिम्मेदार?
4. यह मामला हमारे द्वारा मानसरोवर ज़ोन के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या मानसरोवर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
5. क्या मानसरोवर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
6. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/ धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1, सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड,जयपुर अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|